न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 05/2020

1 दयाल सिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत निवासीगण दादली तहसील व जिला सीकर।

प्रार्थी

बनाम

1 जीवणसिंह पुत्र केसरसिंह।
2 मोतीसिंह पुत्र केसरसिंह समस्त
3 भागीरथ सिंह पुत्र केसरसिंह।
4 गोलूसिंह उर्फ दुर्जन सिंह पुत्र केसरसिंह (फौत)।
4/1 सोन कंवर पत्नी गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह।
4/2 सूरजभान सिंह पुत्र गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह।
4/3 सरोज कंवर पुत्री गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह।
4/4 सुरेन्द्र सिंह पुत्र गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दादली तहसील व जिला सीकर।
5 श्रीमती प्रेम कंवर पुत्री बचनसिंह।
6 श्रीमती ओमकंवर पुत्री बचनसिंह।
7 श्रीमती चान्द कंवर पुत्री बचनसिंह।
8 मैना कंवर पुत्री बचनसिंह (मृत) पत्नी श्यामसिंह।
8/1 किस्मत पुत्री श्यामसिंह।
8/2 माया पुत्री श्यामसिंह।
8/3 बिन्दु कंवर पुत्री श्यामसिंह।
8/4 राकेश पुत्र श्यामसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8/5 गजेन्द्र सिंह पुत्र श्यामसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दादली तहसील व जिला सीकर।

9 श्रीमती मुन्नी कंवर पुत्री बचनसिंह पत्नी जुगलसिंह।

9/1 दरियाव कंवर पुत्री जुगलसिंह।

9/2 पूनम कंवर पुत्री जुगलसिंह।

9/3 सुरेन्द्र पुत्र जुगलसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दादली तहसील व जिला सीकर।

10 पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिपराली तहसील व जिला सीकर।

11 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पिपराली रोड़ सीकर जरिये मैनेजर जिला सीकर।

अप्रार्थीगण

आवेदन कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट अन्तर्गत आदेश
39 आर.2–ए जाब्ता दीवानी

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 16-11.22

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.06.2011 की अवमानना पर प्रस्तुत किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस प्रार्थी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि ग्राम चैनपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 278 गत एवं हाल 298 के सन्दर्भ में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2011 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी किया गया था। अप्रार्थीगण ने इस स्थगन के बावजूद सम्पूर्ण भूमि को स्थगन के दौरान बैंक के रहन रख दी। इससे इस न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना हुई है। अत अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को दण्डित किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने कथन किया है कि ग्राम चैनपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 278 गत एवं हाल 298 के सन्दर्भ में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2011 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी किया गया था। अप्रार्थीगण ने इस स्थगन के बावजूद सम्पूर्ण भूमि को स्थगन के दौरान बैंक के रहन रख दी। इससे इस न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना हुई है। अत अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को दण्डित किया जावें।

प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार की मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में अवमानना प्रार्थना पत्र साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर